Q— राष्ट्रपति के कार्यों व उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए?

Ans. भारत गणतन्त्र है, इसलिए राष्ट्रपति के पद को सर्वोच्च बनाया गया है। वह राष्ट्र का वैधानिक प्रमुख है और संविधान के अनुसार शासन की सभी शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर राष्ट्र का मंत्रिमंडल कर सकता है। वह अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता बल्कि वही करता है जो मंत्रिमंडल उसे करने के लिए कहता है। वह राष्ट्र का प्रधान तो है, परंतु कार्यपालिका का नहीं। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति का कोई महत्व नहीं है

लेकिन असामान्य काल में उसकी स्थिति बदल जाती है। वह संविधान की रक्षा के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उपयुक्त कदम उठा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1) कार्यपालिका शक्तियाँ -

संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। संविधान राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। 42वें संशोधन द्वारा अब उसे मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है।

2) विधायिकी शक्तियाँ

भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता। उसकी स्थिति ब्रिटेन सम्राट के समान है। अतः संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी राष्ट्रपति को व्यापक विधायिनी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्रों का आह्वान करता है तथा वह सत्रों का सत्रावसान (Porogation) करता है एवं लोकसभा का विघटन (Dissolution) करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में अभिभाषण (Address) कर सकता है। तथा राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है।

राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा स्वीकृति देने से इंकार कर सकता है लेकिन वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचारार्थ संसद को लौटा सकता है। चूंकि राष्ट्रपति को दूसरी बार स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

राष्ट्रपति को संसद के विश्रामकाल में अध्यादेश जारी करने का महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है।

अंत में राष्ट्रपति की विधायिका पर कतिपय नियंत्रण व प्रतिबंधों

को संसद के समक्ष रखा जाता है। जैसे- भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिशें लोकसेवा आयोग के प्रतिवेदन तथा अन्य आयोगों का प्रतिवेदन

(3) न्यायिक शक्तियाँ

अमेरिका तथा ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की भाँति भारतीय राष्ट्रपति को भी कतिपय न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्यायालयों द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान (Pardon) प्रविलंबन (Reprieve) प्रत्यावान (Respite) परिहार (Remisson) और इन्हें कम करने के अधिकार प्रदान किया गया है अर्थात वह दंड को क्षमा कर सकता है/ लेकिन न्यायालय द्वारा सजा या मृत्यु दंड से यह अधिकार संबंधित है/

(4) वित्तीय शक्तियाँ

भारतीय राष्ट्रपति को काफी महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है, सरकारी आय-व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति की ओर से संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई वित्त संबंधी विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, भारत के आकस्मिक खर्च के लिए संसद की स्वीकृति से पूर्व ही धन-राशि प्रदान कर सकता है/ कोई भी धन-विधेयक

Date: / /
Page No.:

राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है।

(5) आपातकालीन शक्तियाँ -

राष्ट्रपति को संविधान एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। संकटकालीन या आकस्मिक परिस्थितियों के निवारण के लिए उसे विस्तृत शक्तियाँ दी गयी है। संविधान में तीन प्रकार के आपातों का उल्लेख किया गया है।

i) युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति या उसका खतरा होने पर।

ii) राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर और

iii) आर्थिक या वित्तीय संकट पड़ने पर

(6) अस्थायी शक्तियाँ

संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार की अस्थायी शक्तियाँ प्रदान करता है। ये देश के लागू 1935 ई० के संविधान के नए संविधान को लागू करने के संक्रमण काल में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को कतिपय अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे नए संविधान को लागू होने तक देश के कानूनों में परिवर्तन लाना, संक्रमण काल काल की कठिनाइयों को दूर करने के

लिए संविधान के उपबंधों में संशोधन करना आदि
(ग) कतिपय मामलों के संबंधों में व्यवस्था करना, जब तक कि संसद् नया व्यवस्था नहीं करे, जैसे विवाद के निरोधक के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की नजरबंदी के आदेश देना, संचित निधि के संरक्षण की व्यवस्था करना
(घ) 15 वर्षों के अंदर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की व्यवस्था करना और इसके लिए 'भाषा आयोग' की स्थापना करना।

~~इस प्रकार हम कह सकते हैं कि~~
भारत के राष्ट्रपति के कार्यों व उनकी ~~शक्तियों~~ मंत्रिपरिषद् के कार्यों और अधिकारों से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति को संविधान द्वारा जितने अधिकारों से विभूषित किया गया है उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद् ही करती है, देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद् के हाथों में निहित है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है लेकिन संकट काल में उनकी शक्ति बढ़ कर प्रभावशाली हो जाती हैं और संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रधान बनाया गया है उसे असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं।